



प्रेस नोट थाना हसनपुर

दिनांक 03.05.2021

कोविड-19 गाइड लाईन का उल्लंघन करने पर DJ संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत, 03

DJ लगे वाहन पुलिस हिरासत में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 03.05.2021 को थाना हसनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था गश्त व चैकिंग के दौरान शाहपुर कला में करनखाल मोड पर तेज आवाज में बज रहे DJ जिस कारण वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। चूंकि पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में धारा 144 लागू की हुई है और वर्तमान समय में कोरोना महामारी फैली हुई है जिसमें दो गज की दूरी मास्क लगाना अनिवार्य है। पुलिस टीम द्वारा कोविड-19 गाइड लाईन का उल्लंघन करने पर उक्त DJ वाहन टाटा 407 गाडी रजि0न0 UP23T 2180 को पुलिस हिरासत में लिया गया।

DJ तेज आवाज में बजाकर भीड़ इकट्ठा कर आचार संहिता का उल्लंघन करने तथा कोविड-19 गाइड लाईन का पालन न करने के सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर मु0अ0स0 180/2021 धारा 188, 269, 270 भादवि बनाम DJ संचालक आदेश उर्फ अर्जुन राणा पुत्र इकबाल व अमित पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम शाहपुर कलां थाना हसनपुर जनपद अमरोहा पंजीकृत किया गया। उक्त DJ लगी टाटा 407 गाडी रजि0न0 UP23T 2180 को धारा 207 MV Act के अन्तर्गत सीज किया गया।

इसके अतिरिक्त थाना हसनपुर पुलिस द्वारा एतिहातन DJ बजने की संभावना को देखते हुये ग्राम शाहपुर कला से 02 अन्य DJ लगे हुए वाहन टाटा 407 रजि0न0 UP23D 9748 व टाटा 407 रजि0न0 UP13AT 0253 को पुलिस हिरासत में लिया गया है।

पुलिस हिरासत में DJ वाहन:-

1. टाटा रजि0न0 UP13AT 0253
2. टाटा रजि0न0 UP23D 9748
3. टाटा 407 रजि0न0 UP23D 2180

पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
2. उ0नि0 श्री रामअवतार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
3. का0 341 गौरव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

